राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1507/2013/पाली

मैसर्स श्री पार्श्वनाथ आईसक्रीम,
अम्बेडकर सर्किल के पास, पाली .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन), पाली।
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, ...प्रत्यर्थी.
   घट–तृतीय, वृत्त–पाली।

एकलपीठ
श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री विनित पारीक,
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/02/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, पाली (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 68(2) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 14.11.2011 के विरूद्ध धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 31.07.2009 को किया जाकर करापवंचन का वाद बनाया गया। जिस पर रूपये 3,31,365/– की उचन्ती बिक्री पायी जाने के कारण धारा 25, 55 व 61 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा वाद को प्रशमन करने हेतू दिनांक 17.06.2011 को उपायुक्त (प्रशासन) के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया। जिसकी एक प्रति सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत्त–पाली (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) को दी गयी। जिसके द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.06.2011 से प्रशमन हेतू सिफारिश मय अपनी टिप्पणी अपीलीय अधिकारी को भेज दी गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस दिये बिना अर्थात कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आर्डरशीट पर ही प्रशमन के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। आदेश में यह कारण दिया गया है कि चूंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.06.2011 को आदेश पारित कर दिया गया है अतः इस आवेदन पत्र की कोई उपादेयता नहीं है। इस प्रकार प्रशमन आवेदन को अस्वीकार किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.............2

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रशमन आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया है। जिसके कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर देना अंकित किया है। अधिकृत प्रतिनिधि के अनुसार धारा 68(2) के प्रशमन आदेश पारित करने से पूर्व व आदेश पारित होने के बाद दोनों स्थिति में पारित किया जा सकता है। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा इस धारा का समुचित अध्ययन किये बिना ही बिना किसी कारण के प्रशमन आवेदन को अमान्य कर दिया है जो कि विधिक त्रुटि है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर उनकी अपील स्वीकार कर प्रकरण को अपीलीय अधिकारी को प्रशमन आवेदन स्वीकार करने हेतु प्रतिप्रेषित करने हेतु निवेदन किया।

5. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने आदेश का समर्थन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रशमन आवेदन पत्र को बिना सुनवाई का अवसर दिये अमान्य किया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का आदेश उचित नहीं होने से अपास्त किया जाता है। दूसरा प्रशमन आवेदन को अपीलीय अधिकारी द्वारा यह कारण अंकित कर अस्वीकार किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। उक्त कारण उचित नहीं है, क्योंकि धारा 68(2) का प्रावधान निम्नप्रकार है :–

sub-section (2) of Section 68 :

"The Deputy Commissioner (Administration) may, whether or not an assessment order under any section of this Act has been passed, accept from the person who made the application under sub-section (1), by way of composition of the offence in lieu of penalty or prosecution a sum equal to the amount of tax avoided or evaded."

इस प्रावधान के अध्ययन से स्पष्ट है कि चाहे आदेश पारित कर दिया गया है अथवा नहीं अपीलीय अधिकारी शास्ति या अभियोजन की एवज में करापवंचन के बाद में प्रशमन कर सकता है। परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में धारा 68(2) की पालना नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.11.2011 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देकर उचित आदेश पारित कर अपीलार्थी के प्रशमन आवेदन पर पुनः धारा 68(2) के प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित करे।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

19-2-14

(अमर सिंह)

सदस्य